बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 355720 पटना, दिनांक 22/2/2018

ग्रा0वि015 स्वच्छता-68/2016

प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जीविका, विद्युत भवन, बेली रोड पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/02/18

(अनुराग कौशल सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

2. **सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं अकार्यरत (Dysfunctional) शौचालय हेतु राशि की उपलब्धता।**

अन्यान्य –2.राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई (PSU) यथाः बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, भवन निर्माण निगम आदि से भी CSR (Corporate Social Responsibility) Fund से सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं अकार्यरत शौचालयों के पुर्ननिर्माण हेतु सहयोग लिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

3. **ठोस एवं तरल अपशिष्ठों के प्रबंधन परियोजना संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबध में।**

अन्यान्य –3.पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की कंडिका 6.10.6 में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ठों के प्रबंधन (SLWM) परियोजना अंर्तगत जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु, संबंधित जिला द्वारा परियोजना प्रारुप प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को भेजा जायेगा।
प्राप्त DPR की समीक्षा के उपरांत राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति की अगली बैठक में अनुमोदन एवं अन्य निदेश हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया। ठोस एंव तरल अपशिष्ठों के प्रबंधन के सफल संचालन हेतु अन्य राज्यों से क्रियान्वयन एवं तकनीकी सूचना संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त कर राज्य के मार्गदर्शिका में शामिल करने का निदेश दिया गया । अन्य राज्यों के Best Practices को भी प्राप्त किये जाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

10/2/2018

सचिव–सह–अध्यक्ष

राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना

दिनांक 29/11/2017 को आहूत राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति के बैठक की कार्यवाही

बैठक स्थलः सभागार ग्रामीण विकास विभाग, नया सचिवालय, पटना, बिहार

समयः अपराह्न 4:00 से 5:30 बजे तक

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही की शुरुआत सभी सदस्यों के स्वागत के साथ हुआ। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G)/लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) से ग्रामीण विकास विभाग (RDD) में स्थानांतरण दिनांक 5 जून 2016 को किये जाने की जानकारी दी गयी। साथ ही यह भी बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के कंडिका 6.8.2 के आलोक में राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह पहली बैठक है। तदोपरांत बैठक के कार्यावलियों पर चर्चा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:–

कार्यावली की सूचीः

कार्यावली 1 –जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), कटिहार एवं औरंगाबाद से प्राप्त सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमोदन।

कार्यावली 1–जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम), कटिहार एवं औरंगाबाद से प्राप्त सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर घटनोत्तर स्वीकृति देते हुये अग्रेतर कारवाई किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

कार्यावली 2 –राज्य में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्राधिकृत करने पर विचार–विमर्श।

कार्यावली 2–सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर अनुमोदन दिये जाने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

संबधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत के माँग पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के नियमानुकूल कुल रुपये 2,00,000/–(मो0 दो लाख रूपये) /प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर/ग्राम पंचायत व्यय का अनुमोदन देगें। जिसमें केन्द्र, राज्य और समुदाय द्वारा व्यय का वहन(केन्द्रांश 60: राज्यांश 30: समुदाय 10:)रूप से किया जाना है।

ग्राम पंचायत द्वारा एक से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रस्ताव/मांग किये जाने पर, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्ताव/मांग के

अनुरूप, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अनुमोदन दिये जाने के लिये प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता और अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम--पंचायत द्वारा दिया जायेगा। सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु प्राप्त भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में स्थानीय अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत यथोचित कारवाई की जायेगी।

कार्यावली 3 –सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु सक्षम तकनीकी पदाधिकारी को नामित करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत करने पर विचार किया जाना।

कार्यावली 3 : सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के प्रस्ताव के आाधार पर प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति हेतु किसी सक्षम तकनीकी अभियंता/पदाधिकारी को नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु मानक प्राकलन, सामग्री आकलन एवं उपलब्ध स्थल के अनुरूप डिजाईन तैयार करेंगे तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण/निगरानी भी करेंगे।

जिला पदाधिकारी--सह--अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रखण्ड/ग्राम पंचायत को कार्यान्वियन एजेन्सी के रूप में नामित करने हेतु प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली 4 अन्यान्य मामले–

1. **सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण में निर्धारित लागत राशि (2.00 लाख) से अधिक का प्राक्कलन प्राप्त होने पर।**

अन्यान्य – 1.सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में निधार्रित लागत **(2.00 लाख)** से अधिक का प्राक्कलन प्राप्त होने कि स्थिति में राज्य स्तर या केन्द्र स्तर से संचालित अन्य विकास योजनाओं या अन्य पंचायत विकास योजनाओं से अभिसरण कर अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला पदाधिकारी--सह–अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यदि अनुमेय हो तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से सहयोग राशि प्राप्त किया जा सकता है एवं इसके लिये स्थानीय माननीय सांसद/विधानसभा/विधानपरिषद के सदस्य से आवश्यक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जा सकता है।